अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जून, 2015

का. आ.1482(अ).- जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 05.07.2006 की अधिसूचना सं. का.आ.998(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "नेशनल एसोसिएशन फार दी ब्लाइंड, सेक्टर-5, आर. के. पुरम, नई दिल्ली-110022" द्वारा "वृद्ध दृष्टिहीनों के लिए गृह का निर्माण" की परियोजना को निर्धारण वर्ष 2006-07 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 11 पर विनिर्दिष्ट किया था, जिसे बाद में दिनांक 03.10.2008 की अधिसूचना सं. का. आ. 2392 (अ) द्वारा और बढ़ा दिया गया और जिसे बाद में दिनांक 23.02.2011 की शुद्धिपत्र सं. सां. आ. 424(अ) के तहत वित्तीय वर्ष 2009-10 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया और जिसे बाद में दिनांक 14.05.2012 की अधिसूचना सं. का. आ. 1078 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के नौ वर्षों से अधिक तक चलने की संभावना है ;

और जबकि परियोजना लागत में परिवर्तन होने की संभावना है अर्थात भवन निधि में 3.00 करोड़ रूपए से 7.00 करोड़ रुपए तक की वृद्धि ओर कार्पस निधि में 10.00 करोड़ रूपए से 6.00 करोड़ रूपए तक की कटौती की गई है। इस प्रकार परियोजना लागत वही अर्थात 13.00 करोड़ रूपए रहेगी।

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना या स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए भवन निधि में 3.00 करोड़ रूपए से 7.00 करोड़ रुपए तक की वृद्धि ओर कार्पस निधि में 10.00 करोड़ रूपए से 6.00 करोड़ रूपए तक की कटौती करने की सिफारिश की है, इस प्रकार परियोजना लागत वही अर्थात 13.00 करोड़ रूपए रहेगी ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा (क) " नेशनल एसोसिएशन फार दी ब्लाइंड सेक्टर-5, आर. के. पुरम, नई दिल्ली – 110022" द्वारा चलाई जा रही "वृद्ध दृष्टिहीनों के लिए गृह का निर्माण" की स्कीम या परियोजना को वित्तीय वर्ष 2015-16 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि अर्थात 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए और बढ़ाने को अधिसूचित करती है और;

(ख) दिनांक 5 जुलाई,2006 की उक्त अधिसूचना सं. का. आ. 998(अ) को निम्नलिखित आशय के लिए और संशोधित करती है, नामत:-

उक्त अधिसूचना में धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुमत की जाने वाली अधिकतम राशि से संबंधित क्रम. सं. (11), कालम (4) के सामने सारणी में, "अवसंरचना और अन्धता के निवारण के लिए 3.00 करोड़ रुपए और कार्पस निधि के लिए 10.00 करोड़ रुपए" अक्षरों, अंकों और शब्दों के लिए "अवसंरचना और अन्धता के निवारण के लिए 7.00 करोड़ रुपए और कार्पस निधि के लिए 6.00 करोड़ रुपए" अक्षर, अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।'

[सं. 136/2015/फा. सं. वी -27015/1/2015 एस ओ(रा. स.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव(राष्ट्रीय समिति)